

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

मु० श० अदि०

२
२३/६

सं. हिंदी - 2005/रा.भा.1/12/1

नई दिल्ली, दिनांक 16.6.2005

अधिसूचना

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में उत्तर-मध्य रेलवे के भारतीय रेलवे परियोजना प्रबंधन इकाई, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली कार्यालय को, जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

(Handwritten signature)
16.6.2005

(एम.के.अग्रवाल)
सचिव, रेलवे बोर्ड

भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3 के उपखंड-11 के प्रकाशनार्थ।



प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

1. महाप्रबंधक, उत्तर-मध्य रेलवे, इलाहाबाद.
2. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने.
(उत्तर-मध्य रेलवे को छोड़कर)
3. रेल मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख,
4. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली.
5. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.

(Handwritten signature)
27/6

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
6.6/11
5/1